रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052022-236050 CG-DL-E-27052022-236050

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2300] No. 2300] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

(आय-कर)

का.आ. 2426(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 274 की उपधारा (2ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (2क) के अधीन बनाए गई पहचानविहिन शास्ति (पहला संशोधन) स्कीम, 2022 को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा अधिनियम की धारा 144ख में किए गए संशोधनों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना जो संख्यांक का.आ. 118(अ), तारीख 12 जनवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- 1. उक्त अधिसूचना में,-
- (i) पैरा 1 में,-
- (अ) उप-पैरा (अ) के खंड (1) में,-
 - (I) उपखंड (ii) में "किसी क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र की निर्दिष्ट शास्ति इकाई को ऐसा मामला" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

3550 GI/2022 (1)

- (II) खंड (xv) से खंड (xxii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "(xv) शास्ति इकाई अभिलेख की सामग्री पर जिसके अंतर्गत खंड (viii), खंड (x) और खंड (xii) में यथा-विनिर्दिष्ट प्रत्यत्तर, यदि कोई हो या खंड (xiv) में यथा-निर्दिष्ट रिपोर्ट यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात.-
- (क) शास्ति को आरोपित करने और ऐसी शास्ति के अधिरोपण के लिए शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव तैयार करने का ; या
- (ख) शास्ति अधिरोपित नहीं करने का, ऐसे कारण जो अभिलिखित किए जाएं, प्रस्तुत करेगी ;

और यथास्थिति शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव या कारणों को राष्ट्रीय पहचानविहिन केन्द्र को भेजेगी ;

- (xvi) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र, बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार,-
- (क) उस दशा में जहां शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया जाता है, खंड (xv) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित प्रस्ताव के अनुसार शास्ति आदेश पारित करने के लिए शास्ति इकाई को हस्ताणांतरित की जा सकेगी ; या
- (ख) उस दशा में जहां शास्ति अधिरोपित नहीं करने का प्रस्ताव किया जाता है, यथास्थिति निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर सूचना के अधीन शास्ति प्रक्रिया समाप्त करने के लिए शास्ति इकाई को हस्ताणांतरित की जा सकेगी ; या
- (ग) यथास्थिति ऐसे प्रस्ताव या कारणों का पुनर्विलोकन संचालित करने के लिए किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से शास्ति पुनर्विलोकन इकाई को मामला समनुदेशित कर सकेगी।
- (xvii) शास्ति इकाई खंड (xvi) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट दशा में शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित कर सकेगी और राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के माध्यम से निर्धारिती को उसे तामील कर सकेगी ;
- (xviii) शास्ति इकाई खंड (xvi) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में शास्ति प्रक्रिया समाप्त कर सकेगी और राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के माध्यम से निर्धारिती को सूचना भेज सकेगी ;
- (xix) शास्ति पुनर्विलोकन इकाई खंड (xvi) के उपखंड (ग) में यथा-निर्दिष्ट शास्ति को अधिरोपित न करने के लिए शास्ति अधिरोपित प्रस्ताव या कारणों का पुनर्विलोकन करेगी, इसके पश्चात् वह यथास्थिति ऐसे प्रस्ताव या कारणों से सहमत हो सकेगी या उपांतरण का सुझाव दे सकेगी और पुनर्विलोकन की एक रिपोर्ट तैयार कर सकेगी तथा उसकी सूचना राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को दे सकेगी;
- (xx) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र खंड (xix) के अधीन पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्राप्त करने पर उसे शास्ति इकाई को अग्रेषित करेगा, जो कि यथास्थिति शास्ति को अधिरोपित न करने के लिए शास्ति अधिरोपित प्रस्ताव या कारणों के लिए प्रस्तावित की गई थी:
- (xxi) शास्ति इकाई पुनर्विलोकन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उसमें प्रस्तावित कुछ को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी या सभी को उपांतरित कर सकेगी और ऐसी उपांतरणों को अस्वीकार करने की दशा में कारणों अभिलिखित करने के पश्चात् यथास्थिति शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित कर सकेगी या शास्ति प्रक्रिया को समाप्त कर सकेगी तथा राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के माध्यम से निर्धारिती पर यथास्थिति शास्ति आधिरोपित करने के आदेश की तामील कर सकेगी या शास्ति प्रक्रिया को समाप्त करने की सूचना दे सकेगी;
- (xxii) जहां, यथास्थिति, शास्ति को अधिरोपित वाला आदेश या शास्ति में छूट देने की सूचना, पारित कर दिया गया है या दे दी गई है, वहां शास्ति इकाई राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के माध्यम से, अधिनियम के अधीन ऐसी अगली कार्रवाई के लिए जिसकी इस अधिनियम में अपेक्षा की जाए, खंड (i) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी को ऐसे आदेश की प्रति या शास्ति में छूट देने से संबंधी सूचना भेजेगा।";
- (ख) उप-पैरा (आ) में.-
 - (I) खंड (1) में "या क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र" शब्दों का लोप किया जाएगा।
 - (II) खंड (3) और खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात :-

- "(3) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, वहां सुसंगत इकाई का आय-कर प्राधिकारी राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के माध्यम से ऐसी सुनवाई अनुज्ञात करेगा।
- (4) खंड (3) में निर्दिष्ट सुनवाई बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जहां तक तकनीकी रूप से साध्य हो, अनन्य रूप से वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी संसूचना उपयोजन साफ्टवेयर जो वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी को स्पोर्ट करता है, का उपयोग भी है।";
- (iii) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "2. उक्त अधिनियम की धारा 140 और धारा 282क के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और संशोधनों के अध्याधीन उक्त स्कीम के अनुसार शास्ति कार्रवाईयों पर लागू होंगे, अर्थात् :-

"एक इलैक्ट्रानिक अभिलेख,-

- (i) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र इलैक्ट्रानिक संसूचना के द्वारा;
- (ii) यथास्थिति शास्ति इकाई या शास्ति पुनर्विलोकन इकाई या तकनीकी इकाई या सत्यापन इकाई का अंकीय हस्ताक्षर द्वारा ;
- (ii) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति उनके अंकीय हस्ताक्षर द्वारा या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट के अधीन या डिजीटल पोर्टल में उसके रजिस्ट्रीकृत अकांउट में लोगीन द्वारा,

अधिप्रमाणित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- इस पैरा के प्रयोजन के लिए "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट" का वही अर्थ होगा, जो उसका आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 के उप-नियम (3) के स्पष्टीकरण में है ।";

- (iv) पैरा 3 का लोप किया जाएगा ;
- (v) पैरा 4 में उप-पैरा (ख) में,-
 - (क) "क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 - (ख) खंड (ix) का लोप किया जाएगा।
- 3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 55/2022/फा. सं. 370142/51/2020-टीपीएल(भाग 3)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण: मूल स्कीम संख्यांक का.आ. 118(अ), तारीख 12 जनवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

(INCOME-TAX)

S.O. 2426(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2B) of section 274 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(hereinafter referred to as "the Act") and in consequence to the amendments made in section 144B of the Act vide the Finance Act, 2022, for the purposes of giving effect to the Faceless Penalty (Amendment) Scheme, 2022 made under sub-section (2A) of section 274 of the Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 118(E), dated the 12th January, 2021, namely:—

- 1. In the said notification,—
- (i) in paragraph 1,—
- (a) in sub-paragraph (A), in clause (1),—
 - (I) in sub-clause (ii), the words "in any one of the Regional Faceless Penalty Centres" shall be omitted;
 - (II) for the clauses (xv) to (xxii), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(xv) the penalty unit shall, after considering the material on record including response furnished, if any, as referred to in clauses (viii), (x) and (xii) or report, if any, as referred to in clause (xiv), propose for,—
 - (a) imposition of the penalty and prepare a penalty imposition proposal for imposition of such penalty;
 - (b) non-imposition of the penalty, for reasons to be recorded in writing

and send the penalty imposition proposal or reasons, as the case may be, to the National Faceless Penalty Centre;

- (xvi) the National Faceless Penalty Centre, in accordance with the guidelines issued by the Board, may,—
 - (a) in a case where imposition of penalty has been proposed, convey to the penalty unit to pass the penalty order as per penalty imposition proposal referred to in sub-clause (a) of clause (xv); or
 - (b) in a case where non-imposition of penalty has been proposed, convey to the penalty unit to drop the penalty proceedings under intimation to the assessee or any other person, as the case may be; or
 - (c) assign the case to a penalty review unit through an automated allocation system, for conducting review of such proposal or reasons, as the case may be;
- (xvii) the penalty unit shall, in the case referred to in sub-clause (a) of clause (xvi), pass the order imposing penalty and serve the same on the assessee through the National Faceless Penalty Centre;
- (xviii) the penalty unit shall, in the case referred to in sub-clause (b) of clause (xvi), drop the penalty proceedings and send the intimation to the assessee through the National Faceless Penalty Centre;
- (xix) the penalty review unit shall review the penalty imposition proposal or reasons for non-imposition of penalty, as referred to in sub-clause (c) of clause (xvi), whereupon it may concur with, or suggest modification to, such proposal or reasons, as the case may be, and prepare a review report and send such report to the National Faceless Penalty Centre;
- (xx) the National Faceless Penalty Centre shall, upon receiving the review report under clause (xix), forward the same to the penalty unit which had proposed the penalty imposition proposal or reasons for non-imposition of penalty, as the case may be;
- (xxi) the penalty unit shall, after considering such review report, accept or reject some or all of the modifications proposed therein and after recording reasons in case of rejection of such modifications, pass the order imposing penalty or drop the penalty proceedings, as the case may be, and serve the order imposing penalty or intimation for dropping penalty proceedings, as the case may be, on the assessee through the National Faceless Penalty Centre;
- (xxii) where an order imposing penalty or intimation for dropping penalty, as the case may be, has been passed, the penalty unit shall send a copy of such order, or intimation for dropping penalty to the income-tax authority, referred to in clause (i), through the National Faceless Penalty Centre, for further action as may be required under the Act.";
- (b) in sub-paragraph (B),—
 - (I) in clause (1), the words "or Regional Faceless Penalty Centre" shall be omitted;
 - (II) for clauses (3) and (4), the following clause shall be substituted, namely:—

- "(3) Where the request for personal hearing has been received, the income-tax authority of relevant unit shall allow such hearing, through National Faceless Penalty Centre.
- (4) Hearing referred to in clause (3) shall be conducted exclusively through video conferencing or video telephony, including use of any telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony, to the extent technologically feasible, in accordance with the procedure laid down by the Board.";
- (iii) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:—
- "2. The provisions of section 140 and section 282A of the said Act shall apply to the penalty proceedings in accordance with the said Scheme subject to the following exceptions, modifications and adaptations, namely:—
 - "an electronic record shall be authenticated by,—
 - (i) the National Faceless Penalty Centre by way of an electronic communication;
 - (ii) the penalty unit or the penalty review unit or technical unit or verification unit, as the case may be, by affixing digital signature;
 - (ii) assessee or any other person, by affixing his digital signature or under electronic verification code, or by logging into his registered account in the designated portal.

Explanation. – For the purpose of this paragraph, "electronic verification code" shall have the same meaning assigned to it in the Explanation to sub-rule (3) of rule 12 of the Income-tax Rules, 1962.";

- (iv) paragraph 3 shall be omitted;
- (v) in paragraph 4, in sub-paragraph (B),—
 - (A) the words "the Regional Faceless Penalty Centre," shall be omitted;
 - (B) clause (ix), shall be omitted.
- 3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 55/2022/F. No. 370142/51/2020-TPL(Part III)]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note : Principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) *vide* number S.O. 118(E) dated the 12th January, 2021.